

नये व्यापारी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन (प्रपत्र बी)
APPLICATION FOR NEW DEALERS' LICENCE (FORM - B)

आवेदन भरने के मार्गदर्शन GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION

I. आवेदन प्रपत्र Application Form

आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अगर आप साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं तो सभी साझेदारों के नाम व पूर्ण आवासीय पते लिख दें तथा उन सब के द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। आवेदन के साथ भागीदारी विलेख की अनुप्रमाणित प्रति अग्रेषित की जानी चाहिए। निजी लिमिटेड कंपनी के संदर्भ में प्रबंध निदेशक के नाम और आवासीय पता दे दें। निगमन प्रमाणपत्र के साथ संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रति इसके साथ संलग्न की जानी चाहिए।

The application form should be completely filled in. If you intend to carry on the business under partnership, the name and full residential address of all the partners should be furnished and the application should be signed by all of them. An attested copy of the partnership deed should be forwarded along with the application. In the case of private limited company, the name and residential address of the Managing Director should be furnished. A copy of the Memorandum and Articles of Association together with a copy of the incorporation certificate should be attached herewith.

II. व्यापार एवं भंडारण स्थान Place of Business and Storage

प्रपत्र बी में मद संख्या 2 व 3 के विरुद्ध व्यापार एवं भंडारण के लिए प्रस्तावित स्थान का नाम, हो तो, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आबंटित मकान नं./कमरा नं. पिनकोड सहित डाक पता आदि विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। परिसर का अलग दरवाजा एवं अलग पहचान होना चाहिए। यह आवेदक के संपूर्ण कब्जे में होना चाहिए तथा निर्माण में सामान्य रूप से पक्का होना चाहिए। एक ही कमरे में एक से अधिक व्यापारियों को कार्य करने नहीं देंगे। अगर व्यापार परिसर आवास से संबद्ध हो तो उस मकान का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि व्यापार परिसर स्वतंत्र हो और आवासीय परिसर से अलग हो तथा सार्वजनिक सड़क से सीधे संपर्क में हो। व्यापार परिसर में पर्याप्त भंडारण सुविधा उपलब्ध न हो तो अलग भंडारण व्यवस्था हेतु आवेदक द्वारा प्रबंध किया जाना चाहिए।

Full details of the proposed place of business and storage such as name of building, if any, building number/room number allotted by local authorities, postal address with pincode, etc. should be furnished against items 2 and 3 in the Form 'B'. **The premises should have separate enclosures and separate entity. It should be in the exclusive possession of the applicant and it should be reasonably sound in construction. More than one dealer will not be permitted to function in the same room.** If the business premises is attached to a residence, the nature of the construction of the premises in the building should be such that the business premises is independent and separate from that of the residential portion and shall have direct access from the public road. If sufficient storage facilities are not available in the

business premises arrangements for separate storage should be provided by the applicant.

III. अनुज्ञापत्रशुल्क का प्रेषण Remittance of Licence Fee

प्रति लाइसेंस प्रतिवर्ष या उसके अंश के लिए निर्धारित अनुज्ञापत्र शुल्क ₹38 सेवा कर (15% दर) मिलाकर ₹288/- हैं। वर्तमान में प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है। इसलिए **उपनिदेशक (अनु), रबड़ बोर्ड के नाम कोट्टयम** में देय मणी ऑर्डर या रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा ₹864/- की रकम जमा की जाए। अगर रकम का प्रेषण मणी ऑर्डर द्वारा करता है तो प्रेषण का उद्देश्य मणी ऑर्डर कूपन में सूचित करना है तथा सुलभ संदर्भ हेतु अग्रप्रेषण पत्र में मणी ऑर्डर नंबर तथा तारीख सूचित करें।

The prescribed licence fee per licence per year or part thereof is ₹288/- (including service tax of ₹38/- @ 15%). At present, initially licence is issued for three years. So an amount of ₹864/- shall be remitted by way of Money Order or a crossed Bank Draft drawn in favour of the **Dy. Director (Licensing), Rubber Board, payable at Kottayam**. If the amount is sent by M.O. the purpose of the remittance shall also be mentioned in the coupon and the M.O number and date should be indicated in the forwarding letter for ready reference.

IV. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

The application shall accompany the following documents

(क) एक व्यवस्थापक संस्था हेतु व्यवस्थापक के नाम, यदि आवेदक साझेदारी संस्था है तो हर एक साझेदार के नाम एक शपथ पत्र (₹100 के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर) यदि आवेदक एक संस्था है तो, संस्था/कंपनी के नाम और आवेदक एक निजी लिमिटेड कंपनी हो तो कंपनी के नाम आवेदक द्वारा रखे हुए अचल संपत्ति तथा अन्य संपत्तियों और अन्य विवरणों आदि के संबंध में एक शपथ पत्र (₹100 के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर) इसके साथ दिये गये शपथ पत्र के मसौदे के अनुसार आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदक की वित्तीय स्थिति का निर्धारण शपथ पत्र में दिये गये संसाधनों के विवरणों के आधार पर किये जाने के कारण सही तथा उचित ढंग से सभी संबंधित सामग्रियों की प्रस्तुति करें। मार्गदर्शन हेतु शपथ पत्र का एक मसौदा सभी विवरण सहित इसके साथ संलग्न है। शपथ पत्र का अनुप्रमाणन एक न्यायिक अधिकारी से किया जाना चाहिए जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से कम श्रेणी के न हो या नोटरी पब्लिक।

(a) An affidavit (on ₹100/- non judicial stamp paper) in respect of the proprietor if it is a proprietorship concern, in respect of each and every partners, separately, if the applicant is a firm, in respect of the company, if the applicant is a Private limited company, regarding immovable property or any other assets owned by the applicant, other particulars etc. may be submitted along with the application. Since the financial stability of the applicant will be assessed on the basis of the details of resources furnished in the affidavit, care may be taken to furnish all the relevant materials

therein correctly and properly. A draft form of affidavit showing the details to be furnished is enclosed for guidance. The affidavit should be attested by a Judicial Officer not below the rank of a Magistrate of the First Class or a Notary Public.

(ख) व्यापार स्थान तथा भंडारण स्थान के कब्जे के अधिकार साबित करने के दस्तावेज (प्रस्तावित व्यापार स्थान तथा भंडारण स्थान आवेदक के स्वामित्व के हो तो मद सं.1 तथा 2 के अधीन के दस्तावेज आवश्यक नहीं है।)

b) Documents to prove the right of possession of the place of business and place of storage. (If the proposed place of business and place of storage are owned by the applicant/documents under items (i) and (ii) are not required)

i) न्यूनतम एक सौ रुपये मूल्य के स्टाम्प पेपर में दोनों मकान मालिक तथा आवेदक द्वारा हर एक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित किराया करार की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि

i) Attested copy of rent agreement on stamp paper worth, not less than ₹ 100/- signed by both the building owner and the applicant on each and every page.

ii) मकान मालिक से प्राप्त अद्यतन किराया रसीद, रकम ₹5000 से अधिक हो तो एक रुपये के रसीद टिकट सटा हुआ।

ii) Rent receipt (latest) obtained from the building owner, affixing ₹ 1/- revenue stamp, if the amount exceeds ₹ 5000/-

iii) पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम प्राधिकारियों से प्राप्त मकान कर/ स्वामित्व प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।

iii) Attested copy of building tax/ownership certificate obtained from the Panchayat/Municipal/Corporation authorities.

ग) **पहचान पत्र:** यथास्थिति व्यवस्थापक/हर साझेदार/प्रबंध निदेशक के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ राजस्व प्राधिकारियों जो तहसीलदार रैंक से कम का न हो या न्यायिक अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी या आयकर अधिकारी या रबड़ बोर्ड के उप रबड़ उत्पादन आयुक्त, विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, उप निदेशक (उत्पाद शुल्क), सहायक निदेशक (उत्पाद शुल्क) द्वारा विधिवत् पहचाने तथा अनुप्रमाणित करके रबड़ बोर्ड द्वारा प्रदत्त रबड़ व्यापारी पहचान पत्र के प्रपत्र में अनुलिपि सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा अनुज्ञापत्र पुस्तक की आपूर्ति के लिए हर व्यक्ति के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ उसके उलटे भाग में पूरा नाम लिखकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

c) **Identity card:** Passport size photograph of the proprietor/each of the partner/Managing Director as the case may be, duly identified and attested by concerned Revenue Authorities not below the rank of Tahsildar or Judicial Officer, Sales Tax Officer or Income Tax Officer or Dy. Rubber Production Commissioner, Development Officer, Asst. Dev. Officer, Deputy Director (Excise), Asst. Director (Excise) of the Rubber Board on the proforma of the Rubber Dealers Identity Cards

supplied from the Rubber Board should be produced in duplicate. Besides a passport size photograph of each person should also be produced showing the name of the person on the reverse side for supply of licence book.

घ) साझेदारी विलेख की अनुप्रमाणित प्रति (साझेदारी संस्था के मामले में)

d) **Attested copy of partnership deed** (in the case of partnership firm)

ङ) कंपनी के निगमन प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति तथा ज्ञापन एवं संगम विलेख की प्रति (कंपनी के मामले में)

e) **Attested copy of the Certificate of Incorporation** and a copy of the **Memorandum and Articles of Association of the company** (in the case of company)

च) उप नियम की अनुप्रमाणित प्रति (सहकारी समिति के मामले में)

f) **Attested copy of bye-law** (in case of co-operative society)

शपथ पत्र/अनुज्ञापत्र शुल्क/प्रोसेसिंग प्रभार तथा उपर्युक्त अन्य दस्तावेज एक अग्रेषण पत्र जिसका विहित प्रपत्र संलग्न है, के साथ उप निदेशक (अनुज्ञापन), अनुज्ञापन प्रभाग, रबड़ बोर्ड, कोट्टयम-686002, केरल को भेजा जाए। अग्रेषण पत्र का प्रपत्र एक जांच सूची भी है जो आपको अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यकताएं सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

The application along with the affidavit/Licence fee/Processing charge and other documents as above shall be sent to the Dy. Director (Licensing), Licensing Division, Rubber Board, Kottayam-686 002, Kerala along with a forwarding letter for which a prescribed form is attached. The form of forwarding letter is also a checklist, which will enable you to make sure that you have complied with all the requirements for issuing a licence.

रबड़ बेचने या अन्य तरह से निपटाने तथा खरीदने या अन्य तरह से अर्जित करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को रबड़ बोर्ड द्वारा जारी वैध लाइसेंस रखना चाहिए; अन्यथा वे कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होंगे। रबड़ बोर्ड को लाइसेंस शुल्क के प्रेषण के साथ लाइसेंस के आवेदन प्रपत्र की केवल प्रस्तुति से आवेदक वैध लाइसेंसधारी नहीं समझेंगे जब तक कि आवेदक के नाम रबड़ बोर्ड द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया जाता।

Every person who wants to sell or otherwise dispose of and by or otherwise acquire rubber should possess a valid licence issued by the Rubber Board; otherwise he shall be punishable with imprisonment or with fine or with both. Mere submission of application form for licence alongwith remittance of licence fee to Rubber Board shall not be deemed that the applicant is a valid licence holder unless the licence issued by the Rubber Board in favour of the applicant.

प्रेषक From

.....
.....
.....

दूरभाष / Phone:.....
मो. / Mob.:

सेवा में To

उपनिदेशक (अनुज्ञापन) The Dy. Director (Licensing)

रबड़ बोर्ड मुख्यालय Rubber Board Head Office

कोट्टयम Kottayam – 686 002.

महोदय Sir,

रबड़ व्यापार करने हेतु रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए विचार करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ भेज रहा हूँ/ रहे हैं। I/ We/ am/ are forwarding herewith the following documents for consideration of issue of licence to deal in rubber under Section 14 of the Rubber Act 1947

- 1) प्रपत्र बी में पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन। Application in Form 'B' duly completed in all respect
 - 2) शपथपत्र (अनुदेश के खंड 4(क) में बताए अनुसार) Affidavit/s (as required in para 4(a) of the instructions)
 - 3) ₹ 114 सेवा कर मिलाकर ₹ 864/- के अनुज्ञापत्र शुल्क मनी ऑर्डर/ बैंक ड्राफ्ट/ पोस्टल ऑर्डर संख्या दिनांक द्वारा प्रेषित। पोस्टल ऑर्डर/ बैंक ड्राफ्ट संलग्न है। Licence fee of ₹ 864/- (including service tax of ₹ 114/-) remitted by Money Order/ Bank Draft/ Postal Order vide No..... Dated P.O./ Bank Draft enclosed.
 - 4) व्यापार एवं भंडारण के प्रस्तावित स्थान संबंधी स्वामित्व प्रमाणपत्र/ मकान कर रसीद/ किराया करार व किराया रसीद Ownership Certificate/ Building Tax Receipt/ Rent Agreement & Rent Receipt in respect of proposed place of business and storage.
 - 5) विधिवत् अनुप्रमाणित रबड़ व्यापारी पहचान पत्र Rubber Dealer's Identity Card duly attested
 - 6) मालिक/प्रत्येक साझेदार/ प्रबंध निदेशक का एक अतिरिक्त फोटोग्राफ An extra photograph of the Proprietor/ each Partner/ Managing Director.
- मैं प्रमाणित करता हूँ / हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/ हमने मुझे/ हमें प्रेषित अनुदेशों में बतायी गयी सभी आवश्यकताओं का अब अनुपालन किया है। I/We certify that I/ We have now complied with all the requirements mentioned in your instructions to applicants sent to me/ us.

भवदीय Yours faithfully,

स्थान Place :

दिनांक Date :

हस्ताक्षर Signature:

आवेदक का नाम Name of the Applicant:

रबड़ बोर्ड THE RUBBER BOARD
रबड़ व्यापारियों का पहचान पत्र
RUBBER DEALERS IDENTITY CARD
(दो प्रतियों में /IN DUPLICATE)

1. अनुज्ञप्ति संख्या Licence Number :
2. प्रतिष्ठान का नाम Name of the concern :
3. कारोबार के स्थान का पूरा पता
Address in full of the place of business :
4. गोदाम के स्थान का पूरा पता
Address in full of the place of storage
5. प्रतिष्ठान के मालिकों या साझेदारों या कंपनी के :
निदेशकों का पूरा नाम, उम्र और स्थायी पता
(साझेदारी फर्म/निजी लिमिटेड कंपनी होने पर
प्रबंध साझेदार या प्रबंध निदेशक का नाम
उल्लिखित करना है)
Full name, age and permanent address of
proprietor or partners of the firm or directors
of the company (in the case of partnership firm/
private Limited Company the name of the
managing partner/Managing Director may be
specified)

मालिक/प्रबंध साझेदार/प्रबंध
निदेशक का नया पासपोर्ट
फोटोग्राफ लगाये।

Affix here a recent passport
size photograph of the
proprietor/ Managing
partner/ Managing Director

प्रमाणित किया जाता है कि इसके साथ लगाए फोटोग्राफ
This is to certify that the photograph affixed is the
photograph of
श्री/श्रीमती
Shri / Smt.
सुपुत्र/पुत्री/पत्नी/ Son/Daughter/wife of
..... उम्र /aged

व्यापारी/मालिक/प्रबंध साझेदार/प्रबंध निदेशक का
हस्ताक्षर
(अनुप्रमाणन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करें,
अनुप्रमाणन अधिकारी का हस्ताक्षर और कार्यालय
मोहर कार्ड पर लगाये हुए फोटोग्राफ पर होना
चाहिए।)

Signature of the dealer/proprietor /
Managing partner /Managing Director

(To be signed in the presence of the
attesting officer, the signature and office
seal of the attesting officer should
overlap the photograph on the card)

..... निवास/ residing at
.....डाकघर/ P.O.
गाँव/Village
तालुक/Taluk का सही फोटोग्राफ है।

साक्षात्कृत करनेवाले अधिकारी का नाम और पदनाम
Name and designation of the attesting officer

स्थान /Place
तारीख /Date

रबड़ बोर्ड RUBBERBOARD
कोट्टयम Kottayam – 686 002
तारीख Date

उपनिदेशक
Dy. Director

निदेशक
(अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क)
Director
(Licensing & Excise Duty)

साझेदार फर्म होने पर बाकी साझेदारों के फोटोग्राफ का साक्षात्कृत इस कार्ड के उल्टे पृष्ठ पर उक्त बताई प्रणाली के अनुसार करें।
In the case of Partnership firms, the attestation of the photographs of the remaining partners may be made on
the reverse side of this card as per the procedure of attestation shown above.

(Rs.100/- Stamp paper)

**BEFORE THE RUBBER BOARD, KOTTAYAM – 2
AFFIDAVIT**

I

Son/ Daughter/ Wife of Shri

Aged residing at

Village Taluk

District State

do hereby take oath and affirm as follows:

That I do / do not own immovable properties (indicate extent, value and location). That I do /do not own other assets such as insurance policies, shares, vehicles investment in Companies/firms, bonds and debentures, bank deposit etc. (specify items and their respective market value). That I have / have not been charged / and but not convicted for criminal offences (give details if charged or convicted). That I am / am not a Sales Tax Assessee and not in arrears of Sales Tax. That I am not in arrears of basic tax or any other dues to the Government. That I am/ was not / licensee / partner in a firm licensed from the Board. (If licensed, state the Reg. No.,Licence No. and the period). That I have / have not been working as an Agent / Manager /Employee of a licensed dealer / Manufacturer. That I have / have not been an applicant for alicence to deal in rubber. (If already applied, furnish the result to such application and reference number).

The above facts are true to the best of my knowledge, information and belief.

Place :
Date :

DEPONENT

(The affidavit should be attested by a Judicial Officer not below the rank of a Magistrate of the first class or a Notary Public).